न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार मीणा–ा

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 43/2021

1– लक्षितापुत्री रतनलाल जाति गुर्जर नाबालिग जरिये संरक्षक पिता रतनलाल पुत्र गणेश गुर्जर निवासी काटून्दा तह0 बेगूँ

2– माही पुत्री रतनलाल जाति गुर्जर नाबालिग जरिये संरक्षक पिता रतनलाल पुत्र गणेश गुर्जर निवासी काटून्दा तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

गणेश पिता कूका जाति गुर्जर निवासी काटून्दा तह0 बेगूँ – विपक्षी

उपस्थित :– श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांकः– 29.06.2022

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से एक वाद पत्र अ0धा0 53–88–188 राज0काश्त0 अधिनियम का प्रार्थीगण वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया है उसके साथ ही यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया है कि मौजा काटून्दा प0ह0 काटून्दा की आराजी संख्या 900, 902, 903, 912, 913, 919, 920, 1436, 2387/409, 117/1,2, 571/1871 किता–11 कुल रकबा 4.16 हैक्टर भूमि राजस्व रकार्ड में दर्ज है प्रार्थीगण एवं विपक्षी की पैत्रिक स्वामित्व अधिपत्य की स्थित है, जो वर्तमान में प्रार्थीगण के दादा विपक्षी के अन्य सहखातेदार के साथ संयुक्त सहखातेदारी हक से दर्ज रिकोर्ड है।

उपरोक्त कृषि आराजीयात अविभाजित पैत्रिक स्वामित्व अधिपत्य की सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही अधिकार निहित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है। यह कि विपक्षी के मन में बदनियती आ जाने से एवं गांव कुछ गलत प्रवृति के व्यक्तियों की संगत करने से वर्तमान में परिवार के कहने में नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर विपक्षी आमादा है। जिसका की कोई कानूनन अधिकार विपक्षी को नहीं है।

प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु विपक्षी प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के कब्जे काश्त की आराजी में जबरन दखलंदाजी करने पर आमदा होकर आराजीयात को खुर्द बुर्द करने की धमकी विपक्षी ने दी है, यदि विपक्षी द्वारा उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण का हक हिस्सा समाप्त हो जायेगा एवं प्रार्थीगण का वाद पत्र प्रस्तुत करना व्यर्थ हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनी क्षति होगी। वर्णित कृषि आराजीयात को खुर्द बुर्द करने हेतु धमकी विपक्षी द्वारा दिनांक 24.03.2021 को भी दी तथा गांव के कुछ व्यक्तियों के साथ लगकर हम प्रार्थीगण को धमकी देते हुए कहा कि मेरे अकेले के नाम पर खाते में जो जमीन है उसे मैं बेचूगा तो तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रह जायेगा।

यह कि विपक्षी को वाद पत्र के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात को विक्रय आदि से हस्तान्तरित ना किये जाने बाबत प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र वर्णित मौजा काटून्दा प0ह0 काटून्दा की आराजी संख्या 900, 902, 903, 912, 913, 919, 920, 1436, 2387/409, 117/1,2, 571/1871 किता–11 कुल रकबा 4.16 हैक्टर भूमि को सम्पूर्ण रूप से किसी को किसी प्रकार से रहन दान विक्रय आदि से हस्तान्तरित न करे न करावें एवं प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न न करें न करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्ततु होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये जिससे न्यायालय द्वारा विपक्षी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि बताते हुए प्रार्थीगण का जन्म से ही उनकी पैत्रिक भूमि पर अधिकार होने के कथन करते हुए दस्तावेज पर जोर देकर विपक्षी को भूमि खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया है।

बहस एक तरफा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ध्यानपूर्वक सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया, नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया गया कि वर्णित आराजीयात जो विपक्षी के पिता कूका के नाम पर भी दर्ज थी तथा उक्त आराजीयात संयुक्त आराजीयात है। जो कि पैत्रिक आराजी होना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है साथ ही विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के नोश्नल शेयर में आने वाली भूमि का विक्रय कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति भी होती है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी गणेश पिता कूका जाति गुर्जर निवासी काटून्दा को

जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा काटून्दा की 900, 902, 903, 912, 913, 919, 920, 1436, 2387/409, 117/1,2, 571/1871 किता–11 कुल रकबा 4.16 हैक्टर भूमि को किसी प्रकार से रहन दान विक्रय आदि से हस्तान्तरित न करे न करावें एवं प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न न करें न करावें।

आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मुकेश कुमार मीणा–II)
सहायक लेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़